न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री अयुब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 01/2017

क्र. सं.	अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1.	ढगलाराम पुत्र गुलाराम।	1.	सायरीदेवी पुत्री जरसाराम पत्नि पन्नालाल, जाति नायक निवासी गुडागिरी, हाल निवासी–गजनीपुरा (ससुराल) तहसील देसुरी जिला पाली।
2.	सोहनलाल पुत्र छगाराम।	2.	सरपच, ग्राम पंचायत बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली राज0।
3.	नेमाराम पुत्र छगाराम।	3.	तहसीलदार सोजत तहसील सोजत जिला पाली राज0।
4.	अमराराम पुत्र मोदाराम।		
5.	मोहनलाल पुत्र मोदाराम।		
6.	राजुराम पुत्र मंगलाराम, जातिगण नायक निवासीगण करमावास तहसील सोजत जिला पाली राज0।		

राजस्व म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 1898 स्वीकृत दिनांक 01.03.2013 द्वारा स्वीकृत सरपंच, ग्राम पंचायत बगड़ी को अपास्त करने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक–24.09.2018

अधिवक्ता मय अपीलान्ट ने यह राजस्व अपील दिनॉक 09.06.2017 को न्यायालय हाजा में विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 के पिता व अपीलान्ट संख्या 2 से 6 के दादा गुलाराम पुत्र हदाराम थे। गुलाराम के जाईन्दा छः पुत्र थे, जिसमें सबसे बडा नारायणराम जो लाऔलाद फौत हो गया। छगाराम जिसके दो पुत्र अपीलान्ट संख्या 2 व 3 है, गोदाराम जिसके अपीलान्ट सं0 4 व 5 है। भाणाराम लाऔलाद वर्ष 2013 में फौत हुआ। मंगलाराम जिसके एक पुत्र अपीलान्ट संख्या 6 राजुराम है तथा सबसे छोटा पुत्र ढगलाराम जो अपीलान्ट संख्या 1 वर्तमान में जीवित है। ये सभी छः भाई करमावास के रहने वाले थे।

24/9/2018
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

भाणाराम मजदुरी पेशा व्यक्ति था, जो 1990 से लगातार 1995 तक बगडी (बेरा कुडी) नया बेरा पर जगाराम सिरवी के कुएं पर खेती करते थे तथा कुछ रूपये पास मे होने से वहा रहने की नियत से दिनाक 21.10.1992 को सरहद मौजा बगडी के चक संख्या 2 के खसरा नंबर 5061/2 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम उन्होने पुनाराम पुत्र ताराराम जाति जटिया निवासी बगडी वाले से खरीद कर अपने नाम रजिस्ट्री करवा दी व म्युटेशन भी भरवा दिया व मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया तथा स्वयं इस खरीदसुदा भुमि मे कृषि कार्य करते थे। लेकिन वो कुछ समय पश्चात बीमार रहने लगे तो वो अपने गांव करमावास चले गये व वहां अपने परिवार के साथ रहने लग गये। क्योंकि उनके कोई संतान नही होने की वजह से अपीलान्ट ने ही उनकी सेवा चाकरी की थी और यह कृषि भूमि भोग पर किसी भी काश्तकार को बुवाई के लिये देते थे व हासल लेते थे तथा भाणाराम के कोई संतान नही थी, लेकिन रजिस्ट्री करवाते समय वह अनपढ होने की वजह से उनके नाम के आगे पिता का नाम गलती से पेमाराम लिख दिया गया, जो एक लिपिकिय त्रुटि थी। लेकिन भाणाराम के पिता का असली नाम भुलाराम था तथा 2013 में भाणाराम का ग्राम करमावास पट्टा में दिनाक 07.02.2015 को देहान्त हो गया था तथा करीब 1 माह बाद उनकी पत्नी छोटीदेवी का भी देहान्त हो गया था। लेकिन यह जमीन बहुत कीमती होने की वजह से कुछ भु–माफियो की निगाह मे आ गई और उन्होने षडयत्र रचते हुए एक फर्जी लडकी सायरीदेवी बताई गई एवं ग्राम पंचायत से मिलावट कर एव अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा साख डलवाकर फर्जी म्यूटेशन भरवा दिया तथा उक्त जमीन पर पडौसी काश्तकार मांगीलाल पुत्र जगाराम कृषि कार्य करते थे और उन्होने भी भाणाराम के म्यूटेशन भरवाने बाबत कोई कार्यवाही नही की। इस बीच में कुछ भु–माफियो ने सायरीदेवी पुत्री जसाराम जाति नायक निवासी गुडागिरी हाल निवासी गजनीपुरा तहसील देसूरी को फर्जी पुत्री बनाते हुए उसके नाम दिनाक 01.03.2013 को म्यूटेशन भरवा दिया एवं सायरीदेवी के साथ जुडे भु–माफिया जो अपनी राजनैतिक पहुंच रखते है तथा उनकी नियत में फरक आने से उन्होने सायरीदेवी को फर्जी पुत्री बनाकर उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का म्युटेशन भरवाकर खातेदार बना दिया। तत्पश्चात मांगीलाल पुत्र जगाराम को बेदखल करने के लिये दिनांक 13.06.2014 को तहसीलदार सोजत के समक्ष सायरीदेवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल करने के लिये एवं सायरीदेवी को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमे राजनैतिक दवाब बनाते हुए 07.11.2016 को बेदखली का आदेश करवा दिया, उस आदेश के विरूद्व मांगीलाल ए.डी.एम. कोर्ट पाली में अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी.एक्ट के तहत पेश की, उसमे भी दिनांक 17.04.2017 को मांगीलाल की अपील खारिज करवा दी। इस दौरान मांगीलाल ने अपने स्तर पर सायरीदेवी के बारे में पता लगाया कि सायरीदेवी वास्तव में किसकी बेटी है। तब पता चला कि सायरीदेवी पुत्री जसाराम नोमि पन्नालाल जाति नायक निवासी गुडागिरी हाल गजनीपुरा तहसील देसुरी है। फिर मांगीलाल ने ही इनके विरूद्व एक बगडी थाने में एक सायरी देवी व जो इसके समर्थक थे वह म्यूटेशन में उनका समर्थन करने व दस्तखत करने वालो के विरूद्व धारा 420, 120बी, 467, 468, 323, 341, 427 आई.पी.सी. के तहत रिपोर्ट पेश की, जो विचाराधीन है तथा इस बीच में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

सायरीदेवी ने मृतक भाणाराम के बारे में पता लगाया तो यह पता चला कि भाणाराम ग्राम करमावास पदरा के अपीलान्ट के परिवार का व्यक्ति है और अपीलान्टगण से उन्होने सम्पर्क किया तो अपीलान्ट को दिनांक 17.05.2017 को पता चला, तब अपीलान्ट ने उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि के म्यूटेशन की नकल दिनांक 18.05.2017 को प्राप्त की जिसमे मृतक भाणाराम के नाम का राशनकार्ड बना हुआ है। ग्रामीण विकास का जॉबकार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र भी दिनांक 25.08.1998 का बना हुआ है तथा उनकी पत्नी का भी पेंशन पी.पी.ओ. बना हुआ है तथा पहचान पत्र भी जारी सुदा है तथा मृतक के नाम कृषि भूमि भी है तथा उनके नाम का मकान भी बना हुआ है। अपीलान्ट व मृतक एक ही परिवार के भाई भतीजे है तथा अपीलान्टगण सभी के दस्तावेज साथ सलग्न है तथा वास्तव में मृतक भाणाराम अपीलान्टगण के परिवार का एक सदस्य था। लेकिन उक्त जमीन का म्यूटेशन अपने नाम अनपढ होने से एवं आपस में सामजस्य नही होने की वजह से यह म्यूटेशन भरवाने में देरी हो गई, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए सायरीदेवी व उनके सहयोगीयो ने फर्जी म्यूटेशन भरवा दिया, उसे निरस्त करने हेतु यह म्यूटेशन अपील पेश की है। अपीलान्टगण एक गरीब एवं अनपढ एवं मजदुरी पेशा व्यक्ति है जो होशियार नही होने की वजह से उसका नाजायज फायदा सायरीदेवी ने उठाया व अपने नाम गलत म्यूटेशन भरवाया, जिसको निरस्त करवाया जाना आवश्यक है अन्यथा अपीलान्टगण अपने हक हकूक एव अधिकारो से वंचित हो जायेंगे। इसलिए दिनांक 01.03.2013 को जो सायरीदेवी द्वारा फर्जी म्यूटेशन फर्जी पुत्री बनते हुए भरवाया है, जो गलत है तथा उस वक्त भाणाराम बीमार अवस्था में अपने परिवार के साथ करमावास में रहते थे। भाणाराम का देहान्त दिनांक 07.02.2015 को बाद में हुआ था, जिससे भी यह म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। ग्राम पंचायत बगड़ी द्वारा दिनांक 01.03.2013 को म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है, को निरस्त करते हुए पुनः तहसीलदार सोजत को भेजा जाए एवं पूर्णरूप से जांच करने के पश्चात अपीलान्टगण के नाम म्यूटेशन करा जावे। उक्त म्यूटेशन की जानकारी अपीलान्टगण को मांगीलाल द्वारा दिनांक 17.05.2017 को देने से व दिनांक 18.05.2017 को नकल लेने से अपीलान्टगण को जानकारी हुई। इसलिये अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे तथा अपीलान्ट अपील अन्दर म्याद पेश करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र अपील के साथ पेश किया है। इस प्रकार राजस्व अपील मय शपथ –पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने ना0सो0 1998 दिनॉक 01.03.2013 को स्वीकृति आदेश को निरस्त किये जाने तथा मौजा बगड़ीनगरा चक ।। में स्थित 5061/2 रकबा 0.8000 हैक्टर बा0दो0 कृषि भूमि के खातेदारी मृतक भाणाराम के विधिक व वास्तविक उतराधिकारियों की नये सिरे से पूर्णरूपेण जांच करके विधिसम्वत् नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान जरिए सम्मनस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनॉक 05.02.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र नारायण ओझा अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनॉक 05.02.2018 को पेश किया, सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अपीलान्टान ने दिनॉक 20.03

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

2018 को फहरिश्त मय दस्तावेजात पेश किए सामिल मिसल किया गया। दिनॉक 04.04.2018 से लगातार अनेकानेक अवसर धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश करने हेतु दिये गये, दिनॉक 02.07.2018 को जवाब दरख्वास्त एवं बहस दरख्वास्त धारा 5 तथा बहस अपील का समय दिया जाकर वास्ते बहस दरख्वास्त धारा 5 तथा बहस अपील मुकर्रर की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टान ने राजस्व अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 5 म्याद अधिनियम का पेश किया कि उक्त अमथान की अपील अपीलाण्टान ने ठोस व मजबूत तथ्यो के आधार पर प्रकरण पेश किया है। दिनांक 17.05.2017 को मांगीलाल द्वारा अपीलाण्टगण को उक्त सम्पूर्ण प्रकरण एव म्यूटेशन के बारे मे जानकारी दी और जानकारी होते ही अपीलन्ट ने दिनांक 18.05.2017 को म्यूटेशन नकल प्राप्त की, जिससे सम्पूर्ण जानकारी हुई एवं अन्य दस्तावेज भी कलेक्ट करने मे समय लगा, जिसमे तहसीलदार सोजत का आदेश एवं ए.डी.एम. कोर्ट पाली के आदेश की भी प्रतियां कलेक्ट की, जिसमें समय लगा एवं अब यह अपील अन्दर म्याद पेश की है। इस प्रकार धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार किए जाने की ईश्तदुआ की है। दिनॉक 23.07.2018 को अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने दिनॉक 23.07.2018 को रेस्पोडेन्ट सायरी देवी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि अपील म्याद बाहर है व अपील ठोस आधारो पर नही है। ए.डी.एम. कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो धारा 183बी आर.टी.एक्ट. के कार्यवाही के विरूद्व की गई थी, जिस वक्त उपरोक्त म्यूटेशन की जानकारी अपीलाण्ट को थी व उसी समय अपील पेश की जानी चाहिए थी। दिनांक 07.11.2016 को बेदखली का आदेश हुआ, उस वक्त भी म्यूटेशन की जानकारी थी व अपील खारिज हुई जो दिनांक 17.04.2017 को हुई थी। इसलिये स्वयं अपीलाण्ट ने अपने अपील में जो कथन किये है उससे विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र मे कथन किये है, इसलिये अपील म्याद बाहर है व म्याद कबूल किये जाने योग्य नही है। लिहाजा जवाब पेश कर अपील म्याद के बिन्दु पर खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस दरख्वास्त धारा 5 म्याद अधिनियम एवं बहस अपील सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि कुन्नाराम पुत्र ताराराम रेगर सा0 बगडी नगर से जरिए पजीबद्व विक्रय विलेख भानाराम पुत्र पेमाराम रेगर नायक सा0 करमावास पट्टा ने मौजा बगडीनगर चक ।। के ख0नं0 506/2 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म वा0दो0 की भूमि खरीद की, म्यूटेशन भरवाकर कब्जा भी मौके पर प्राप्त किया। तत्पश्चात बीमारी के कारण अपने गॉव करमावास जाकर परिवार के साथ रहने लग गये। रजिस्ट्री करवाते समय गलती से भानाराम के पिता का नाम ताराराम के स्थान पर पेमाराम लिख दिया, जो लिपिकीय भूलवश त्रुटि रही। भानाराम का करमावास पट्टा मे दि0 07.02.2015 को तथा 1 माह बाद उनकी पत्नि छोटी का देहान्त हो गया। भू माफियो ने षडयंत्रपूर्ण तरीके से फर्जी लडकी सायरी को पुत्री बताकर दिनॉक 01.03.2013 को भरवाया जो गलत है, चूँकि बीमारी अवस्था मं परिवार के साथ करमावास पट्टा मे रहते थे तथा भाणाराम का देहान्त दिनॉक 07.02.2015 को बाद में हुआ था।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

भाणाराम के सजरा से वारिसान जमकुबाई पत्नि फौत व सायरी पुत्री का उक्त ना0सं0 1898 दि0 05.03.2013 स्वीकृत के पृष्ठांकित वंशावली गलत अंकित की है, जिसका फौजादारी मुकदमा FIR दर्ज होकर हुआ। फौतेदगी म्यूटेशन दिनॉक 01.03.2013 को भरा गया, जिसमें भाणाराम की मृत्यु तिथि 07.02.2015 गलत रूप से दर्शाई है। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार सायरी की माता मूली देवी, पिता जसाराम तथा पति का नाम पन्नालाल है, जबकि सायरी का ना0सं0 1898 के पृष्ठांकित वशावली पर भानाराम की पुत्री होना गलत बताया है। अपीलान्ट अनपढ व आपस में सामन्जस्य न होने से म्यूटेशन नही भरवाया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने धारा 5 मयाद अधि0 प्रा0पत्र से सम्बद्ध बहस मे व्यक्त किया कि उक्त भूमि के पडौसी काश्तकार मांगीलाल पुत्र जगाराम कृषि कार्य करने वाले द्वारा जानकारी होने पर समस्त दस्तावेजात की नकले प्राप्त करके अपील अन्दर मयाद पेश की जिससे अपील पेश करने तक (01.03.2013 से 09.06.2017 तक) की अवधि को कण्डोन किए जाने तथा अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं पुनः नये सिरे से भाणाराम के विधिक वारिसानों की जॉच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधि0 के जबाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने व्यक्त किया कि ए0डी0एम0 कोर्ट में अपील पेश की गई, धारा 183 बी आर0टी0एक्ट की कार्यवाही के विरूद्ध की गई थी, तब उक्त म्यूटेशन की जानकारी अपीलान्ट को थी। दिनॉक 07.11.2016 को बेदखली का आदेश हुआ व अपील दि0 17.07.2017 को खारिज हुई थी। अपीलान्ट ने अपील मे दर्शाये कथनो के विपरित जाकर अपील मयाद बाहर पेश की है। अपने कथन के समर्थन में DNJ (Raj) 1999 पृ0सं0 134 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए, जिन्हे धारा 5 के मयाद बिन्दु पर उचित चस्पा होना बताते हुए अपील अपीलान्ट मयाद बिन्दु पर खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अपील मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र तथा जबाब प्रा0पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अधिवक्ता रेस्पो0 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सम्पूर्ण विवेचनों पश्चात् स्पष्टः सिद्ध है कि भाणाराम की खरीद सुदा उक्त भूमि का अपीलाधीन ना0सं0 1898 दिनांक 01.03.2013 स्वीकृत दिनॉक 05.03.2013 बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के अभाव में तथा विधिक वारिसानों की वास्तविक व सही जॉच किये बिना तथा बिना सुने भरा गया है, जिसे खारिज किया जाना उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रा0 पत्र धारा 5 युक्तियुक्त कारणो से युक्त होने से तथा अपील व प्रा0पत्र के परिपेक्ष्य में अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त उचित चस्पा न होने से प्रा0 पत्र धारा 5 मयाद अधि0 का स्वीकार किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति दि0 05.03.2013 से अपील पेश करने की तिथि दि0 09.06.17 तक की अवधि को कण्डोन किया जाता है। मौजा बगडीनगर चक।। का ना0सं0 1898 को खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना कि उक्त नामान्तरकरण से सम्बद्ध सरहद मौजा बगड़ी नगर ।। में स्थित ख0सं0

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

5061 रकबा 0.80 हैक्टर बा0दो0 की भूमि में भानाराम के विधिक वारिसानों से सम्बद्ध जाँच पुनः सही व वास्तविक रूप से करके विधिक वारिसानों के नाम विधि सम्मत नामान्तरकरण/निर्णय पारित किया जावें।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 5 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती है। सरहद मौजा–बगडी नगर चक।। में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 0.08000 हैक्टर बा0दो0 का गलत रूप से बिना विधिक वारिसानों की एवं दस्तावेजी सबूतों के अभाव में पारित नामान्तरकरण संख्या 1898 स्वीकृति दिनांक 05.03.2013 खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि से सम्बद्ध भाणाराम के विधिक वारिसानों तथा दस्तावेजात की पूर्णरूप से जाँच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण/निर्णय पारित करें। तथापि उक्त विवादग्रस्त भूमि से सम्बद्ध दायर अपीलीय न्यायालय/उच्च न्यायालयों में दायर फौजदारी प्रकरण यथा अपील/रिट याचिका में पारित विधिसम्मत निर्णय की पालना की जावेगी। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय की प्रमाणित छाया प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

24/9/2018

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.
जिला पाली(राज.)

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सारे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

24/9/2018.

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.
जिला पाली(राज.)

Scanned by CamScanner